कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना तकनीकी के विस्तार को देखते हुए त्वरित सूचना सम्प्रेषण का कार्यालयीन कार्य सम्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि विद्यार्थियों द्वारा मोबाईल के दुरूपयोग एवं उन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाव हेतु शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के मर्यादित एवं आवश्यकतानुरूप उपयोग हेतु आचार संहिता का निर्माण एवं विद्यालयी स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा उसका अक्षरशः पालन किया जाना उचित है। शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 24.01.2005, 24.03.2009 एवं 31.03.2016 द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में सम–सामयिक आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को समाहित करते हुए शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के नियंत्रित उपयोग हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

01. विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में मोबाईल फोन लाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
02. विद्यालयों में प्रार्थना सभा / बाल–सभा / शिक्षक अभिभावक परिषद् की बैठक तथा कक्षा–कक्षों में मोबाईल फोन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
03. विद्यालय स्टाफ द्वारा प्रार्थना सभा से पूर्व प्रधानाचार्य कक्ष / विद्यालय कार्यालय / स्टाफ कक्ष में से सुसंगत स्थान पर मोबाईल फोन जमा करवाने अथवा सुरक्षित स्थल पर रखे जाने की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यकतानुसार उपयोग में ली जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में कक्षा शिक्षण, अन्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों / क्रियाकलाप के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग अनुमत नहीं किया जाएगा।
04. प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा शिक्षण, अन्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों / क्रियाकलाप के अलावा समय में कार्यालयीन दायित्व निर्वहन हेतु सूचना प्राप्ति अथवा त्वरित सूचना सम्प्रेषण हेतु मोबाईल फोन का इस्तेमाल अनुमत किया जाता है, परन्तु यह उपयोग पूर्णतः मर्यादित, नियंत्रित एवं व्यवहार सम्मत अपेक्षित है। विशेष तौर से विद्यार्थियों के समक्ष मोबाईल फोन का उपयोग न्यूनतम किया जाना अपेक्षित है।
05. विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा शिक्षण, अन्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों / क्रियाकलाप के अलावा समय में आवश्यकता की स्थिति में प्रधानाचार्य कक्ष अथवा स्टाफ कक्ष में मोबाईल फोन का नियंत्रित उपयोग अनुमत किया जा सकता है, परन्तु विद्यार्थियों के समक्ष मोबाईल फोन का उपयोग न्यूनतम किया जाना अपेक्षित है।

सामान्यतः शिक्षक विद्यार्थियों हेतु रॉल मॉडल होते हैं, विद्यार्थी बहुधा अपने शिक्षकों की आदतों / क्रियाकलापों का दैनिक जीवन में अनुसरण किया करते हैं। अतः शिक्षकों का यह नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वे विद्यार्थियों के समक्ष उक्तानुरूप मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयों में मोबाईल उपयोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित एवं सीमित करें।

समस्त संबंधितों द्वारा क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना / क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य / मा–स / विविध / 22444 / 2019
दिनांक : 09/10/2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

E:\Genral letter.docx

2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर/राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर